

28/11/22 को पेश हो।

28/11/22 -

पञ्जावली कानून पेश दुरुई प्राधिकरण व प्राधिकरण के
कठिबकला अनुपस्थित। कानूनी दिलाई मरई कावजू
कानूनी दिलाई के प्राधिकरण व प्राधिकरण के कठिबकला
अनुपस्थित रहे हैं। उक्त न्यायालय द्वारा जारी कानूनी
निषेधाज्ञा दि० 4/3/22 निरस्त की जाकर प्रकार प्राधिकरण
की कानूनी दिलाई व कानूनी प्रेरकी अस्वीकृत किया जाता है।
पञ्जावली निषेध हटाने के लिए आवेदन स्वीकार है।

(Signature)
सहायक कलेक्टर
SDO (गुडामाला)

